Dir

कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश कमांक 23/271–2000 शि–1(2) दिनांक, चण्डीगढ़ 19/07/2000

ए0 वी0 इन्टरनैशनल पब्लिक स्कूल सिरसा को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से दसवीं स्तर की सम्बद्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है । कि विधालय समय समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह विधालय को मान्य होगें ।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

प्रशान्त महापात्र
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ

पृ0 क0 सम दिनांक, चण्डीगढ 20/07/2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा को उनके यादि कमांक जी– 1– 2000/645 दिनांक 06/06/2000 के सदर्भ में ।
2. मुख्य अध्यापक ए0 वी0 इन्टरनैशनल पब्लिक स्कूल सिरसा
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र कम्यूनिटी सैन्टर प्रीत विहार नई दिल्ली 110092.

अधीक्षक विधालय–1 20/7/2000
कृते निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़

self Attested

PRINCIPAL
A. V. International Public School
SIRSA (Haryana)

Scanned By Scanner Go

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

16

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी
सिरसा।

यादि कमांक: 12/5–2019 पी0एस0 (1)
दिनांक, पंचकूला :– 19/03/19

662
28-3-19

विषय: निम्नलिखित निजि शिक्षण संस्था से प्राप्त स्थाई मान्यता (फार्म–II) हेतु प्राप्त मामला, जिला अराजकीय विद्यालय निरीक्षण कमेटी से निरीक्षण करवाने बारे।

–0–

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपके जिले से सम्बन्धित निजि शिक्षण संस्था की ओर से प्राप्त स्थाई मान्यता (फार्म–II) (आटर्स, कामर्स व विज्ञान संकाय) प्रदान करने हेतू जो मामले निदेशालय में प्राप्त हुआ है उनकी निम्नानुसार मूल फाईल (संलग्न) भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि इन विद्यालयों का निरीक्षण जिला अराजकीय विद्यालय निरीक्षण कमेटी से करवाने उपरान्त, स्पष्ट निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर निदेशालय को 30 दिन के अन्दर–2 भिजवाने का कष्ट करें, ताकि इन मामलों का निपटान शीघ्रता से किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि फाईल पेज मार्क हो तथा चैक लिस्ट भरकर साथ संलग्न की जाए। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि हरियाणा शिक्षा स्कूल नियमावली 2003 के उपनियम 34(1) के तहत विभाग द्वारा जारी स्थाई मान्यता के पैरा नं0 9 में विद्यालय को 10 वर्ष उपरान्त स्थाई मान्यता का रिव्यू (Review) करवाना अनिवार्य है। अतः मामले का निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय को भेजे।

A.V. Intenational Sr. Sec. School, Sirsa

Class 11th to 12th

नोटः– निरीक्षण रिपोर्ट स्पष्ट भेजी जाए, जिसमें कमरे, बरामदे, सीढ़ियां, रैम्प तथा खेल के मैदान का आकार स्पष्ट लिखा होना चाहिए तथा वीडियोग्राफी की सी0डी0 व फोटोग्राफी करवाकर भेजी जाये व भूमि से सम्बन्धित दस्वातेज Revenue authority से Certify copy व DTC/MC द्वारा जारी NOC, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, साफ सफाई का प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा प्लैज मनी Verify करने उपरान्त केस के साथ भेजी जाये, एक पूर्ण कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में भी रखें। इसके अतिरिक्त मामले में दस्तावेजो की प्रतियां राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना अति आवश्यक है।

अधीक्षक पी.एस. 19/3/19
कृतेः महानिदेशक सेकैण्डरी शिक्षा
हरियाणा,पंचकूला।

पृष्ठकान कमांक –सम–

दिंनाक, पंचकूला :–

इसकी एक प्रति प्रबन्धक, **Shri Arorvansh Charitable Trust, I.T.I Chowk, Sirsa** को सूचनार्थ प्रेषित है।

अधीक्षक पी.एस.
कृतेः महानिदेशक सेकैण्डरी शिक्षा
हरियाणा,पंचकूला।